

# कार्यालय महालेखाकार ( लेखा. एवं हक ) उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक: प्रशा-III/CGHS/2022-23/27

दिनांक: 13/10/2023

## कार्यालय आदेश

मेडिकल अटेंडेंस रूल्स में उल्लिखित, भारत सरकार का निर्णय-2 के नीचे, के अनुसार ऐसे कर्मचारी जो कि CGHS covered area (कार्यालय आदेश संख्या: प्रशा-III/चिकित्सा/Dy. No/89/2018-19/332 दिनांक: 19-11-2018 द्वारा परिचालित) के अन्तर्गत नहीं आते हैं, को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के आदेश संख्या: प्रशा-III/2022-23/402 दिनांक: 05-12-2022 द्वारा AMAs की जो सूची निर्गत की गई थी, को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति, महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या: सी0जी0-5075/1999-मेडिकल दिनांक: 03-10-2023 (प्रति संलग्न) द्वारा दिनांक: 31-10-2023 तक अथवा नयी सूची (वर्ष-2023-24) जारी होने तक जो भी पहले हो, सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। |

As per Government of India decision-2 below as mentioned in the Medical Attendance Rules, such employees who are not residing in CGHS covered area (Office Order No. admn-III/Medical/Dy. No/89/2018-19/332 dated: 19-11-2018), the AMA list which was valid till 30.09.2023 issued by this office order number Admn-III/2022-23/402 dated: 05-12-2022, it has been decided to extend the list of AMAs, as communicated vide letter no. CG-5075/1999-medical dated: 03-10-2023 (copy attached) issued by Central Government Employees Welfare Coordination Committee, Office of the Survey, Dehradun upto **31.10.2023** or **new list (year 2023-24)**, whichever is earlier.

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

--Sd--

वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रशा-III

पत्रांक: प्रशा-III/CGHS/2022-23/341-345

दिनांक: 13/10/2023


1.सचिव महालेखाकार (ले० एवं हक०) उत्तराखण्ड, देहरादून ।

2.वरिष्ठ उपमहालेखाकार (लेखा एवं प्रशासन) प्रकोष्ठ ।

3.उपमहालेखाकार (निधि) प्रकोष्ठ ।

4.डाटा मैनेजर / I.T.S.G को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त कार्यालय आदेश कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई० मेल के माध्यम से प्रेषित करने के साथ-साथ कार्यालय की वेबसाइट पर **upload** किया जाना सुनिश्चित करे ।

5.सूचना पट्ट ।

  
13.10.2023  
वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रशा-III

भारत सरकार  
Government of India  
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय  
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension  
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  
Department of Personnel & Training  
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति /  
Central Government Employees Welfare Co-ordination Committee/  
महासर्वेक्षक का कार्यालय, हाथीबडकला एस्टेट, पो.बॉ. संख्या 37, देहरादून-248001  
Surveyor General's Office, Hathibarkala Estate, P.B.No.37, Dehra Dun-248001  
(Email : egewcc.ddn.soi@gov.in)

सं० सी.जी.- 5075/1999-मेडिकल

दिनांक: 03 अक्टूबर 2023

सेवा में,

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति, देहरादून  
के सभी सदस्य कार्यालय ।

विषय : प्राधिकृत चिकित्सा परिचारकों (AMAs) की नियुक्ति अवधि में वृद्धि करना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारकों (AMAs) की वर्ष 2023-24 हेतु नियुक्ति/नवीनीकरण सूची 01 अक्टूबर, 2023 से कार्यन्वित की जानी थी, परन्तु अपरिहार्य कारणों से नई सूची (वर्ष 2023-24) जारी करने में विलम्ब होने पर इस कार्यालय के पत्र सं० सी.जी.-6304/1999-मेडिकल दिनांक 15 नवम्बर, 2022 के अंतर्गत जारी की गयी वर्तमान सूची को नई सूची (वर्ष 2023-24) जारी होने तक या दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 तक जो भी पहले हो, सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया गया है ।

भवदीय,



(अर्जुन सिंह)

अधीक्षण सर्वेक्षक

कृते अध्यक्ष, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति, देहरादून